संख्या-377/2018/2674/22-2-2017-17(798)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लखन पुत्र श्री गुरू प्रसाद निवासी जनपद-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37118/प्रोबे0-5-दयायाचिका/803 दिनांक 12.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लखन पुत्र श्री गुरू प्रसाद, जो-विशुनपुर, थाना-मोहम्मदपुर खाला, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पारिवारिक रंजिश के विवाद को लेकर दिनांक 18.07.1997 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, बन्दूक, लाठी व भाला से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-579/1998 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 324/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-10), बाराबंकी के आदेश दिनांक 13.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2016 तक 07 वर्ष 03 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 10 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है तथा 03 अन्य सहअभियुक्त जमानत मुचलके पर कारागार से रिहा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लखन (बन्दी संख्या-1078/2010) पुत्र श्री गुरू प्रसाद निवासी जनपद-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-377/2018/2674(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in